रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29042025-262755
CG-DL-E-29042025-262755

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1876] नई दिल्ली, सोमवार , अप्रैल 28, 2025/वैशाख 8, 1947
No. 1876] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 28, 2025/VAISAKHA 8, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल , 2025

का.आ. 1918(अ).— निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन अपेक्षित रूप से, उससे प्रभावित होने वाली जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; और एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना उस तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात विचार में ली जाएगी, जिसको इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को प्रतियाँ उपलब्ध करा दी जाती हैं;

उक्त प्रारूप अधिसूचना में निहित प्रस्तावों पर कोई आपत्ति या सुझाव देने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसे केंद्र सरकार के विचार के लिए निर्दिष्ट अवधि के भीतर लिखित रूप में सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन

मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 पर या मंत्रालय के ई-मेल पते esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

जबकि, पश्चिमी सुंदरबन वन्यजीव अभयारण्य सुंदरबन का हिस्सा है, जो भारत और बांग्लादेश दोनों में गंगा-ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के मुहाने पर बना डेल्टाई मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह क्षेत्र दुनिया की एकमात्र मैंग्रोव बाघ भूमि भी है, जहाँ विश्व प्रसिद्ध 'रॉयल बंगाल टाइगर' (*पैंथेरा टाइग्रिस*) पाया जाता है।

और जबकि, पश्चिमी सुंदरबन वन्यजीव अभयारण्य को पश्चिम बंगाल सरकार के वन विभाग द्वारा 11 सितंबर, 2013 को 556.45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र सहित अधिसूचना संख्या 1828-FOR/11M-86/2012(Pt.1) द्वारा अधिसूचित किया गया था। अभयारण्य उत्तर में अजमलमारी, ठकुरन नदियों, पूर्व में मतला नदी, पश्चिम में ठकुरन नदी और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी से घिरा है;

और जबकि, पश्चिमी सुंदरबन वन्यजीव अभयारण्य आईसीयूएन की रेड डाटा बुक और सीआईटीईएस के परिशिष्टों में शामिल वन्यजीवों की विभिन्न प्रजातियों को आश्रय और सुरक्षा प्रदान करता है। यह विलुप्तप्राय रॉयल बंगाल टाइगर (*पैंथेरा टाइग्रिस)* और विभिन्न वैश्विक रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों जैसे फिशिंग कैट (*प्रियोनैलुरस विवेरिनस*), एस्टुरीन मगरमच्छ (*क्रोकोडायलस पोरोसस*), आदि का घर है। यह ओलिव रिडले (*लेपिडोचेलिस ओलिवेसिया)*, ग्रीन टर्टल (*चेलोनिया मायडस*), आदि *जैसे समुद्री कछुओं का घोंसला बनाने का स्थान है*। विलुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन (*प्लैटनिस्टा गैंगेटिका*) इन मैंग्रोव वनों की खाड़ियों, नहरों में रहता है। यह अभयारण्य फुलवस ब्रेस्टेड वुडपेकर (*डेंड्रोकोपोस मैसी)* स्ट्राइप ब्रेस्टेड वुडपेकर (*डेंड्रोकोपोस एट्राटस*), ब्लैकरम्प्ड फ्लेमबैक (*डाइनोपियम बेंगालेंस*), स्टॉर्क बिल्ड किंगफिशर (*पेलार्गोप्सिस कैपेंसिस*), आदि जैसे पक्षियों के लिए स्वर्ग है।

और जबकि, पश्चिम सुंदरबन वन्यजीव अभयारण्य एस्टुरीन ऊदबिलाव (*लुट्रा लुट्रा)* जैसी कई विलुप्तप्राय जन्तु प्रजातियों का घर है, जैसे बंगाल मॉनिटर (वारानस बेंगालेंसिस), वॉटर मॉनिटर लिज़ार्ड (*वरनस साल्वेटर)*, ओलिव रिडले कछुआ (*लेपिडोचेलिस ओलिवेसिया*), इरावदी डॉल्फिन (*ओर्केला ब्रेविरोस्ट्रिस*), गंगा डॉल्फिन (*प्लैटनिस्टा गैंगेटिका*), भारतीय पायथन (*पायथन मोलुरस),* रीसस मकाक (*मकाका स्पेशिओसा*), सिवेट कैट (*विवेरा ज़िबेथा*), सियार (*कैनिस ऑरियस*), चीतल (*एक्सिस एक्सिस*), जंगली सुअर (*सुस स्क्रोफा*) आदि।

और जबकि , संरक्षित क्षेत्र में पुष्प प्रजातियों की समृद्ध और व्यापक जैव विविधता व्याप्त है और यह लगभग 84 मैंग्रोव प्रजातियों का घर है। क्षेत्र में मौजूद कुछ पुष्प प्रजातियाँ हरगुजा (*एकेंथस इलिसीफोलियस एल*), खालसी (*एजिसरस कार्निकुलटम*), काला बेन (ए. *मरीना फ़ोर्स्क वीरह*), होडो (*एक्रोस्टिचम ऑरियम एल*), बकुल (*ब्रुगुएरा सिलिंड्रिका (एल).*), नैट (*सी. क्रिस्टाटा* (एल).), गिला (*एंटाडा स्कैंडेंस बेन*), दुधिलता (*फिनलेसोनिया ओबोवेटा एल.*), क्रिप (*लुम्नित्ज़ेरा रेसमोसा वाइल्ड*), हेनटल (*फीनिक्स पलुडोसा रॉक्सब*), कीया (*पांडनस टेक्टोरियस सोलैंड*), नोनागुरी (एस. *मेरिटिमा डुमॉर्ट*) आदि है।

और जबकि, पश्चिम सुंदरबन अभयारण्य के मैंग्रोव वनों में व्याप्त नदियों, चैनलों और खाड़ियों सहित जल निकायों की बहुलता मछलियों की कई प्रजातियों का पोषण करती है। मैंग्रोव पौधों की गिरी हुई पत्तियाँ मृदा-जल के चरण को समृद्ध करती हैं और पर्यावरण मछलियों की असंख्य प्रजातियों के लिए एक आदर्श नर्सरी ग्राउंड बनाता है। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली कुछ मछली प्रजातियों में गंगा शार्क (*ग्लिफ़िस गैंगेटिकस*), हैमर हेड शार्क (*स्फिर्ना ब्लोची*), गिटार मछली (*राइनोबेटोस अन्नांडेली*), हैंगर (*दास्यतिस सेफर्स*), बटर फिश (*स्ट्रोमेटस साइनेंसिस*), सिल्वर पॉम्फ्रेट (*पैम्पस चिरेंसिस*), बंगाल टंग फिश (*साइनोग्लोसस साइनोग्लोसस*), गंगा हेयरफिन एंकोवी (*सेटिपिन्ना फासा हैमिल्टन*), मोटल्ड ईल (*एंगुइला*

बंगालेंसिस), ब्लैकफिन सी कैट फिश (*एरियस जेला*), स्पॉट टेल नीडल फिश (स्ट्रॉन्गिलुरा स्ट्रॉन्गिलुरा), कलगाछी भगोने (*लिजा ताडे* (फोर्सस्कल), चंदा (*एट्रोप्लस) सुरटेन्सिस (ब्लोच)*), आदि शामिल हैं।

और चूंकि, पश्चिमी सुंदरबन वन्यजीव अभयारण्य की वनस्पति और जीव जैव विविधता के प्रभावी संरक्षण और सुरक्षा के लिए, इसके आसपास के क्षेत्र में विभिन्न मानवजनित दबावों की सीमा को विनियमित किया जाना है क्योंकि इस संवेदी पारिस्थितिकी तंत्र से सीधे सटा क्षेत्र पारिस्थितिकी संवेदी जोन है;

और चूंकि, दक्षिण में अजमलमारी, ठकुरन, मतला, बंगाल की खाड़ी की नदियों की गतिशील प्रकृति का अभयारण्य में वन्यजीवों पर सीधा प्रभाव पड़ता है; और इसलिए, वन्यजीव आवास और परिदृश्य में सुधार और विकास के लिए पश्चिम सुंदरबन वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को संरक्षित और सुरक्षित रखना आवश्यक है ;

और चूंकि, पश्चिमी सुंदरबन वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं के आसपास के क्षेत्र को, जो पैराग्राफ 1 में पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव विविधता के दृष्टिकोण से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में निर्दिष्ट है, संरक्षित और सुरक्षित रखना आवश्यक है और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्ग और उनके संचालन और प्रक्रियाओं को प्रतिबंधित करना आवश्यक है;

अब, अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के उपखंड (v) और उपखंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित, केन्द्र सरकार, पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में पश्चिमी सुन्दरवन वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से 2 कि.मी. तक के क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करना चाहती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं, अर्थात्:-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं-

(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन पश्चिम सुंदरबन वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के आसपास 2 किलोमीटर तक फैला हुआ है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल लगभग 207.35 वर्ग किलोमीटर है।

(2) पश्चिमी सुंदरबन वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमा विवरण **अनुलग्नक-I** के रूप में संलग्न है ।

(3) पश्चिमी सुंदरबन वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के मानचित्र और महत्वपूर्ण मार्ग बिंदुओं के भू-निर्देशांक **अनुलग्नक- II क** और **अनुलग्नक II ख** के रूप में संलग्न हैं।

(4) सुंदरबन वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा पर भू-निर्देशांक **अनुलग्नक - III की तालिका क और ख** में संलग्न हैं।

(5) कोई भी गांव पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर स्थित नहीं है

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए क्षेत्रीय मास्टर प्लान-

(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए, स्थानीय लोगों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए एक क्षेत्रीय मास्टर प्लान तैयार करेगी।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तरीके से तथा सुसंगत केन्द्रीय एवं राज्य कानूनों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरूप तैयार की जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार किया जाएगा, ताकि उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय पहलुओं को एकीकृत किया जा सके:-

i. वन;

ii. पर्यावरण;

iii. कृषि;

iv. मत्स्य पालन;

v. पर्यटन;

vi. सिंचाई और जलमार्ग;

vii. आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा ;

viii. अंतर्देशीय जलमार्ग विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार;

ix. पंचायत और ग्रामीण विकास;

x. सुन्दरबन मामले.

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित मौजूदा भूमि उपयोग, अवसंरचना और कार्यकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा, जब तक कि इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न किया गया हो और आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और कार्यकलापों को और अधिक कुशल और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए सुधार को शामिल किया जाएगा।

(5) आंचलिक महायोजना में जल-विहीन क्षेत्रों का पुनरुद्धार, विद्यमान जल निकायों का संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्रों का प्रबंधन, जलग्रहण प्रबंधन, भूजल प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं और पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं के लिए प्रावधान किया जाएगा, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पश्चिमी सुंदरबन वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरने वाली नदियों के ऊपर 10 किलोमीटर तक की कोई भी गतिविधि, जिससे तट कटाव, बाढ़, जल प्रदूषण, पारिस्थितिकी और प्राकृतिक प्रवाह के रुकने की संभावना बढ़ सकती है, जिसके लिए पश्चिमी सुंदरबन वन्यजीव अभयारण्य के प्राधिकरण से पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी मौजूदा पूजा स्थलों, गांवों और शहरी बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, हरित क्षेत्र जैसे पार्क, बागवानी क्षेत्र, बाग-बगीचे, झीलों और अन्य जल निकायों को मौजूदा और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्रों के साथ चिह्नित किया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगा और पैराग्राफ 4 में तालिका में सूचीबद्ध निषिद्ध और विनियमित गतिविधियों का पालन करेगा और स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और बढ़ावा देगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना के साथ समाप्त होगा।

(9) इस प्रकार अनुमोदित क्षेत्रीय मास्टर प्लान, इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी समिति के लिए उसके कार्यों के कार्यान्वयन हेतु संदर्भ दस्तावेज होगा।

(10) आंचलिक महायोजना की तैयारी और अनुमोदन तक, कोई भी नया विकासात्मक कार्यकलाप उप-पैरा (1) और (2) के पैराग्राफ 6 में निर्दिष्ट प्रावधानों द्वारा शासित होंगी ।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

भूमि उपयोग.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मनोरंजन प्रयोजनों के लिए चिन्हित वन, बागवानी क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, पार्क और खुले स्थान का उपयोग वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा या उन्हें क्षेत्रों में परिवर्तित नहीं किया जाएगा:

बशर्ते कि ऊपर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कृषि और अन्य भूमि के परिवर्तन की अनुमति निगरानी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर नियोजन अधिनियम और केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के तहत सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, जैसा भी लागू हो और इस अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार, स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने और निम्नलिखित गतिविधियों के लिए दी जा सकेगी-

i. बैंक स्थिरीकरण/संरक्षण संरचना और उपाय।
ii. मौजूदा सड़कों/जेटी का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण तथा पुलों, पुलियों आदि सहित नई सड़कों, जेटी का निर्माण;
iii. नदी तलकर्षण और जलमार्गों का तलकर्षण;
iv. सामाजिक रूप से वांछनीय सार्वजनिक अवसंरचना, बिजली, पेयजल, सिंचाई और अन्य बुनियादी नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीनीकरण;
v. प्राकृतिक आपदा जैसे चक्रवात, तूफान आदि से लोगों को बचाने के लिए आपदा आश्रय स्थल का निर्माण एवं नवीनीकरण तथा संबंधित कार्य।
vi. सीमित प्रदूषण क्षमता वाले लघु उद्योग;
vii. कुटीर उद्योग जिसमें गांव के कारीगर आदि शामिल हैं ,
viii. होम स्टे सहित इको-पर्यटन को समर्थन देने वाली स्थानीय सुविधाएं;
ix. सुरक्षा बल शिविर/गश्त शिविरों का निर्माण एवं नवीनीकरण, तथा
x. अनुच्छेद 4 में दी गई गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया:

(ख) अप्रयुक्त भूमि, अनुत्पादक कृषि भूमि और नदी तटों पर मैंग्रोव प्रजातियों के पुनः वनरोपण/वनरोपण का प्रयास किया जाएगा।

आगे यह भी प्रावधान है कि जनजातीय भूमि का उपयोग वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास गतिविधियों के लिए क्षेत्रीय नगर नियोजन अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना और संविधान के अनुच्छेद 244 या अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) सहित वर्तमान में लागू कानून के प्रावधानों के अनुपालन के बिना नहीं किया जाएगा:

यह भी प्रावधान है कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भूमि अभिलेखों में दिखाई देने वाली किसी त्रुटि को राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् ठीक किया जाएगा और उक्त त्रुटि के सुधार की सूचना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार को दी जाएगी:

यह भी प्रावधान है कि त्रुटि सुधार में इस उप-पैरा के अंतर्गत दिए गए प्रावधान को छोड़कर किसी भी मामले में भूमि उपयोग में परिवर्तन शामिल नहीं होगा;

(ख) वनरोपण और आवास पुनर्स्थापन गतिविधियों के माध्यम से अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनरोपण करने के प्रयास किए जाएंगे।

2. **प्राकृतिक जल निकाय.-** सभी प्राकृतिक झरनों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए योजनाएं आंचलिक महायोजना में शामिल की जाएंगी और राज्य सरकार द्वारा दिशानिर्देश इस

प्रकार तैयार किए जाएंगे कि इन क्षेत्रों में या इनके निकट ऐसी विकास गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके जो इन क्षेत्रों के लिए हानिकारक हैं।

3. **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.-**

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नई पारिस्थितिकी पर्यटन गतिविधियां या मौजूदा पर्यटन गतिविधियों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए पर्यटन मास्टर प्लान के अनुसार होगा;

(ख) पर्यटन महायोजना राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के पर्यावरण एवं वन विभागों के परामर्श से तैयार किया जाएगा;

(ग) पर्यटन महायोजना, क्षेत्रीय मास्टर प्लान का एक घटक होगा;

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन के आधार पर तैयार किया जाएगा;

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन की गतिविधियों को निम्नानुसार विनियमित किया जाएगा, अर्थात्:-

i. संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक , जो भी निकट हो, होटलों और रिसॉर्ट्स के नए निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ;

i. बशर्ते कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से आगे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, नए होटलों और रिसॉर्ट्स की स्थापना की अनुमति केवल पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व-परिभाषित और निर्दिष्ट क्षेत्रों में ही दी जाएगी;

ii. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नई पर्यटन गतिविधियां या मौजूदा पर्यटन गतिविधियों का विस्तार, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन दिशानिर्देशों (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार होगा, जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास पर जोर दिया जाएगा;

iii. जब तक आंचलिक महायोजना को मंजूरी नहीं मिल जाती, पर्यटन के लिए विकास और मौजूदा पर्यटन गतिविधियों के विस्तार की अनुमति संबंधित नियामक प्राधिकरणों द्वारा वास्तविक स्थल विशिष्ट जांच और निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर दी जाएगी और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी भी नए होटल, रिसॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. **प्राकृतिक विरासत-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मूल्यवान प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों, जैसे जीन पूल आरक्षित क्षेत्र, चट्टान संरचनाएं, झरने, झरने, घाटियां, उपवन, गुफाएं, स्थान, पैदल मार्ग, सैरगाह, चट्टानें आदि की पहचान की जाएगी और क्षेत्रीय मास्टर प्लान के एक भाग के रूप में उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए विरासत संरक्षण योजना तैयार की जाएगी।

5. **मानव निर्मित विरासत स्थल- ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्य और सांस्कृतिक महत्व की** इमारतों, संरचनाओं, कलाकृतियों, क्षेत्रों और परिसरों की पारिस्थितिकी संवेदी जोन में पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना अंचलिक महायोजना के हिस्से के रूप में तैयार की जाएगी।

6. **ध्वनि प्रदूषण.-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 और उसके संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

7. **वायु प्रदूषण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों और इन अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

8. **बहिःस्रावों का विसर्जन-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिःस्रावों का निस्सरण जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इन अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

9. **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार होगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा, जिसे भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 1357 (अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया है और समय-समय पर संशोधित किया गया है; अकार्बनिक सामग्री को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर पहचाने गए स्थल पर पर्यावरण स्वीकार्य तरीके से निपटाया जा सकता है;

(ख) स्थानीय प्राधिकारी ठोस अपशिष्टों को जैवनिम्नीकरणीय और गैर-जैवनिम्नीकरणीय घटकों में पृथक करने के लिए योजना तैयार करेंगे;

(ग) जैवनिम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः कम्पोस्ट या वर्मीकल्चर के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(घ) अकार्बनिक सामग्री को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर चिन्हित स्थल पर पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकार्य तरीके से निपटाया जा सकेगा तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाने या भस्म करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

10. **जैव-चिकित्सा अपशिष्ट.-** जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन निम्नानुसार होगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 343 (अ), दिनांक 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर चिन्हित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से उचित प्रबंधन की अनुमति दी जा सकती है।

11. **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन** .- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, जिसे भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 340 (अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है ।

12. **निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन .-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन, समय-समय पर संशोधित, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 317(अ) तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

13. **ई-अपशिष्ट .-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

14. **वाहनों का आवागमन .-** वाहनों के आवागमन को पर्यावरण अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में विशिष्ट प्रावधान क्षेत्रीय मास्टर प्लान में शामिल किए जाएंगे और जब तक क्षेत्रीय मास्टर प्लान तैयार नहीं हो जाता और राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं हो जाता, तब तक निगरानी समिति संबंधित अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत वाहनों के आवागमन के अनुपालन की निगरानी करेगी ।

15. **वाहन प्रदूषण-** वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू कानूनों के अनुपालन में किया जाएगा तथा स्वच्छ ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

16. **औद्योगिक इकाइयाँ.-** (क) इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन पर या उसके पश्चात्, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई भी नया प्रदूषणकारी उद्योग स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को ही केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशा-निर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर अनुमति दी जाएगी, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाएगा, जब तक कि इस अधिसूचना में ऐसा निर्दिष्ट न किया जाए, और इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

- क्षेत्रीय मास्टर प्लान में पहाड़ी ढलानों पर स्थित क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जहां किसी निर्माण की अनुमति नहीं होगी;
- मौजूदा खड़ी पहाड़ी ढलानों या अत्यधिक कटाव वाली ढलानों पर निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत निषिद्ध या विनियमित की जाने वाली गतिविधियों की सूची-

पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी गतिविधियां पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होंगी, जिनमें पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 (या नवीनतम अधिसूचना) और अन्य लागू कानून शामिल हैं, जिनमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) और उनमें किए गए संशोधन शामिल हैं और उन्हें नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट तरीके से विनियमित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

क्र. सं.	गतिविधि	विवरण
		क. निषिद्ध गतिविधियाँ
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और पेराई इकाइयाँ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर घरों के निर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई सहित वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के अलावा सभी नए और मौजूदा खनन (लघु और प्रमुख खनिज), पत्थर उत्खनन और क्रशिंग इकाइयों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाएगा; (ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टी.एन. गोदावर्मन मामले में तारीख 4 अगस्त, 2006 को दिए गए आदेशों के अनुसार किया जाएगा। थिरुमुलपाड बनाम यूओआई डब्ल्यूपी (सी) संख्या 202/1995; गोवा फाउंडेशन बनाम यूओआई डब्ल्यूपी (सी) संख्या 435/2012 के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014; और टीएन गोदावर्मन के मामले में तारीख 28 अप्रैल , 2023 थिरुमुलपाद बनाम यूओआई और डब्ल्यूपी(सी) संख्या 202/1995 में।
2.	प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि)।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले किसी भी नए उद्योग या विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। मौजूदा उद्योगों द्वारा प्रदूषण रोकथाम तकनीक और शोर अवरोधक स्थापित किए जाने चाहिए।
3.	प्रमुख जलविद्युत परियोजना की स्थापना।	निषिद्ध।
4.	किसी भी खतरनाक पदार्थ का उपयोग, उत्पादन या प्रसंस्करण।	निषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित अपशिष्टों का निर्वहन।	निषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के भीतर नई आरा मिलों या मौजूदा आरा मिलों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना।	निषिद्ध।
8.	पॉलिथीन बैग और प्लास्टिक का उपयोग।	पर्यटन गतिविधि के लिए प्रतिबंधित। अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध रहेगा
9.	जलाऊ लकड़ी का व्यावसायिक	निषिद्ध।

	उपयोग।	
10.	सतही एवं भूजल का व्यावसायिक निष्कर्षण।	निषिद्ध।
11.	विदेशी प्रजातियों का परिचय.	निषिद्ध।
12.	ठोस अपशिष्ट शोधन	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव-निम्नीकरणीय ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा, जिसे भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 1357 (अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया है ; अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर पहचाने गए स्थल पर पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकार्य तरीके से किया जा सकता है। (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर उत्पन्न किसी भी ठोस अपशिष्ट को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के भीतर उपचारित/प्रसंस्कृत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
13.	अपशिष्ट का शोधन	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव -चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 343 (अ), तारीख 28 मार्च , 2016 द्वारा प्रकाशित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा । पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई भी जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा स्थापित नहीं की जाएगी। (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर बायो-मेडिकल इकाइयों से उत्पन्न सभी अपशिष्ट को शोधन और निपटान के लिए पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर ले जाया जाएगा। पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर उत्पन्न किसी भी बायो-मेडिकल अपशिष्ट को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर संभालने, संसाधित करने या उपचारित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
14.	प्लास्टिक अपशिष्ट का शोधन	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की *अधिसूचना* संख्या सा.का.नि. 340 (अ), तारीख 18 मार्च, 2016, समय-समय पर यथासंशोधित, द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। आंचलिक महायोजना में अतिरिक्त स्थल-विशिष्ट प्रतिबंध निर्धारित किए जा सकते हैं। पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर कोई प्लास्टिक अपशिष्ट शोधन सुविधा नहीं होनी चाहिए। (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर उत्पन्न सभी प्लास्टिक अपशिष्ट को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर ले जाया जाएगा। पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर उत्पन्न किसी भी प्लास्टिक कचरे को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर संभालने, संसाधित करने या उपचारित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

15.	ई-अपशिष्ट का शोधन	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है। आंचलिक महायोजना में विनिर्देश और अतिरिक्त स्थल-विशिष्ट प्रतिबंध निर्धारित किए जा सकते हैं। पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर कोई भी ई-अपशिष्ट शोधन सुविधा नहीं होनी चाहिए। (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर उत्पन्न सभी ई-कचरे को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर ले जाया जाएगा। पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर उत्पन्न किसी भी ई-अपशिष्ट को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर संभालने, संसाधित करने या उपचारित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
	ख. विनियमित गतिविधियाँ	
16.	होटलों और रिसॉर्टों की व्यावसायिक स्थापना।	संरक्षित क्षेत्र की सीमा के एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी निकटतम हो, किसी भी नए वाणिज्यिक होटल और रिसॉर्ट की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय पारिस्थितिकी-पर्यटन गतिविधियों के लिए छोटे अस्थायी ढांचों के: संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर से आगे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी निकटतम हो, सभी नई पर्यटन गतिविधियां या मौजूदा गतिविधियों का विस्तार, पर्यटन आंचलिक महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।
17.	निर्माण गतिविधियाँ.	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी निकटतम हो, किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी: बशर्ते कि, स्थानीय लोगों को स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भवन उप-नियमों के अनुसार पैराग्राफ 3 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध गतिविधियों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि पर निर्माण कार्य करने की अनुमति होगी: बशर्ते कि प्रदूषण न फैलाने वाले लघु उद्योगों से संबंधित निर्माण गतिविधि को लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेकर विनियमित किया जाएगा और न्यूनतम रखा जाएगा। (ख) एक किलोमीटर से आगे इसे क्षेत्रीय आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
18.	लघु पैमाने के गैर-प्रदूषणकारी उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन से स्वदेशी सामग्रियों से उत्पाद बनाने वाले गैर-खतरनाक, लघु एवं सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प-कृषि, बागवानी या कृषि-आधारित उद्योग को अनुमति दी जाएगी।
19.	पेड़ों की कटाई.	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी, राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं की

		जाएगी। (ख) वृक्षों की कटाई को संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
20.	वन उपज या गैर-काष्ठ वन उपज का संग्रहण।	लागू कानूनों के तहत विनियमित।
21.	विद्युत एवं संचार टावरों का निर्माण तथा केबल बिछाना एवं अन्य अवसंरचनाएं।	लागू कानूनों के तहत विनियमित भूमिगत केबलिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है।
22.	नागरिक सुविधाओं सहित अवसंरचना।	लागू कानूनों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार शमन के उपाय करना।
23.	मौजूदा सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण, नई सड़कों, घाटों, पुलों, पुलियों आदि का निर्माण।	लागू कानूनों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार उचित पर्यावरण प्रभाव आकलन के साथ शमन के उपाय करना।
24.	पर्यटन से संबंधित अन्य गतिविधियाँ जैसे पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के ऊपर गर्म हवा के गुब्बारे, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि द्वारा उड़ान भरना।	लागू कानूनों के अनुसार विनियमित।
25.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू कानूनों के अनुसार विनियमित।
26.	रात्रि में वाहनों का आवागमन।	लागू कानूनों के तहत वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए विनियमित।
27.	स्थानीय समुदायों द्वारा डेयरी, डेयरी फार्मिंग, जलीय कृषि और मत्स्य पालन के साथ-साथ चल रही कृषि और बागवानी के कार्य।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू कानूनों के अनुसार अनुमति दी गई है।
28.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिःस्रावों का विसर्जन।	शोधित अपशिष्ट जल या बहिःस्रावों के अपशिष्ट को जल निकायों में जाने से रोका जाएगा और शोधित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा, उपचारित अपशिष्ट जल/ बहिःस्रावों के विसर्जन को लागू कानूनों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
29.	फर्मों, कॉर्पोरेट और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा लागू कानूनों के अनुसार विनियमित।
30.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुला कुआँ, बोरवेल आदि।	विनियमित किया जाना चाहिए तथा उचित प्राधिकारी द्वारा गतिविधि की कड़ाई से निगरानी की जानी चाहिए।
31.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन.	लागू कानूनों के अनुसार विनियमित।
32.	पारिस्थितिकी पर्यटन.	लागू कानूनों के अनुसार विनियमित।
33.	वाणिज्यिक साइन बोर्ड और होर्डिंग्स।	लागू कानूनों के अनुसार विनियमित।

34.	लकड़ी की आवाजाही	पश्चिम बंगाल ट्रांजिट नियम, 2019 के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
35.	मछली पालन	वन क्षेत्र के अंदर इसकी अनुमति नहीं है। अन्य क्षेत्रों में, ईएसज़ेड के भीतर नदी/जल निकायों आदि में खेती की जाने वाली प्रजातियों और खेती की विधि को विनियमित किया जाएगा।
		ग. प्रमोटेड गतिविधियाँ
36.	जल छाजन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	कुटीर उद्योग जिसमें ग्रामीण कारीगर आदि शामिल हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	नवीकरणीय ऊर्जा एवं ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश आदि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
42.	मैंग्रोव बागवानी और हर्बल पौधों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
43.	पर्यावरण अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
44.	कौशल विकास.	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
45.	क्षीण भूमि/वन/पर्यावास का पुनरुद्धार।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
46.	पर्यावरण जागरूकता.	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
47.	संधारणीय वन प्रबंध कार्यकलाप।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
48.	मिट्टी और नमी संरक्षण कार्य शामिल नदी बैंक संरक्षण पैमाने।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। वानस्पतिक बैंक संरक्षण संबंधी उपायों को बढ़ावा दिया जाएगा।
49.	मधमक्खियों के पालने का स्थान	सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना
50.	पर्यावरण अनुकूल वैकल्पिक आजीविका	सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना
51.	तटबंध संरक्षण	अनुमत
52.	चक्रवात आश्रय स्थलों की स्थापना	अनुमत

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति-

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए, केन्द्र सरकार एक निगरानी समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्:-

क्र.सं.	निगरानी समिति के घटक	पद का नाम
i.	जिला मजिस्ट्रेट, 24 परगना (दक्षिण) जिला, बंगाल सरकार	अध्यक्ष, पदेन;
ii.	वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्येक तीन वर्ष के लिए नामित किया जाएगा।	सदस्य;
iii.	पारिस्थितिकी के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ, जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्येक तीन वर्ष में नामित किया जाएगा।	सदस्य;
iv.	जैव विविधता पर एक विशेषज्ञ, जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्येक तीन वर्ष में नामित किया जाएगा।	सदस्य;
v.	सिंचाई एवं जलमार्ग विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
vi.	सुन्दरबन मामले विभाग का एक प्रतिनिधि।	सदस्य, पदेन;
vii.	मत्स्य विभाग से एक प्रतिनिधि।	सदस्य, पदेन;
viii.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
ix.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि।	सदस्य, पदेन;

x.	प्रभागीय वन अधिकारी, 24 परगना (दक्षिण) प्रभाग	सदस्य- सचिव, पदेन;

6. निगरानी समिति के कार्य –

(1) निगरानी समिति, सं. का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 द्वारा तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना की अनुसूची में शामिल तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाली, किन्तु इसके पैरा 4 के अंतर्गत तालिका में निर्दिष्ट निषिद्ध गतिविधियों को छोडकर, और उक्त अधिसूचना के प्रावधानों के तहत पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के लिए, जैसा भी मामला हो, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण को संदर्भित गतिविधियों की वास्तविक स्थल-विशिष्ट स्थितियों के आधार पर जांच करेगी।

(2) भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में शामिल न की गई गतिविधियां और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाली गतिविधियां, पैरा 4 के अंतर्गत तालिका में निर्दिष्ट प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर, वास्तविक स्थल-विशिष्ट स्थितियों के आधार पर निगरानी समिति द्वारा जांच की जाएंगी और संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजी जाएंगी।

(3) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के तहत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा जो इस अधिसूचना के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

(4) निगरानी समिति मामले दर मामले के आधार पर आवश्यकतानुसार विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग से प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संघों या संबंधित हितधारकों से प्रतिनिधि को आमंत्रित कर सकती है।

(5) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक की अवधि के लिए अपनी गतिविधियों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष 30 जून तक इस अधिसूचना से संलग्न अनुलग्नक-IV में निर्दिष्ट प्रोफार्मा में राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को प्रस्तुत करेगी।

(6) केन्द्रीय सरकार, निगरानी समिति को उसके कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए लिखित रूप में ऐसे निर्देश दे सकेगी, जो वह उचित समझे।

7. **अतिरिक्त उपाय:** केन्द्र सरकार और राज्य सरकार इस अधिसूचना के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हो, निर्दिष्ट कर सकती हैं।

8. **सर्वोच्च न्यायालय, आदि के आदेश-** इस अधिसूचना के प्रावधान भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित या पारित किए जाने वाले आदेशों के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/05/2024/ईएसजेड]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

अनुलग्नक I

पश्चिमी सुंदरबन वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमा विवरण

पारिस्थितिकी संवेदी जोन का नाम	**दिशा**	**चौड़ाई**	**द्वीप/श्रेणी/क्षेत्र**	**गांव**	**विशिष्ट क्षेत्र (संरक्षित वन कम्पार्टमेंट)**	**नदियां**
पश्चिमी सुंदरबन वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन	उत्तर	2 किमीका दायरा	अजमलमारी	माइपीठ	अजमलमारी 11 और 12	अजमलमारी और ठकुरन
	पूर्व	2 किमी का दायरा	हालिडे वन्यजीव अभयारण्य का पारिस्थितिकी संवेदी जोन	शून्य	सुंदरबन टाइगर रिजर्व	मतला
	दक्षिण	2 किमी	शून्य	शून्य	शून्य	बंगाल की खाड़ी
	पश्चिम	2 किमी का दायरा	दुम्बा द्वीप	पूर्ब श्रीपतिनगर , राखलपुर , श्रीधरनगर , सत्यदासपुर , सीतारामपुर	ठकुरन रिजर्व वन	ठकुरन

अनुलग्नक II क

पश्चिम सुंदरबन वन्यजीव अभयारण्य और उसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का स्थलाकृतिक मानचित्र, महत्वपूर्ण मार्ग-बिंदुओं के भू-निर्देशांक के साथ

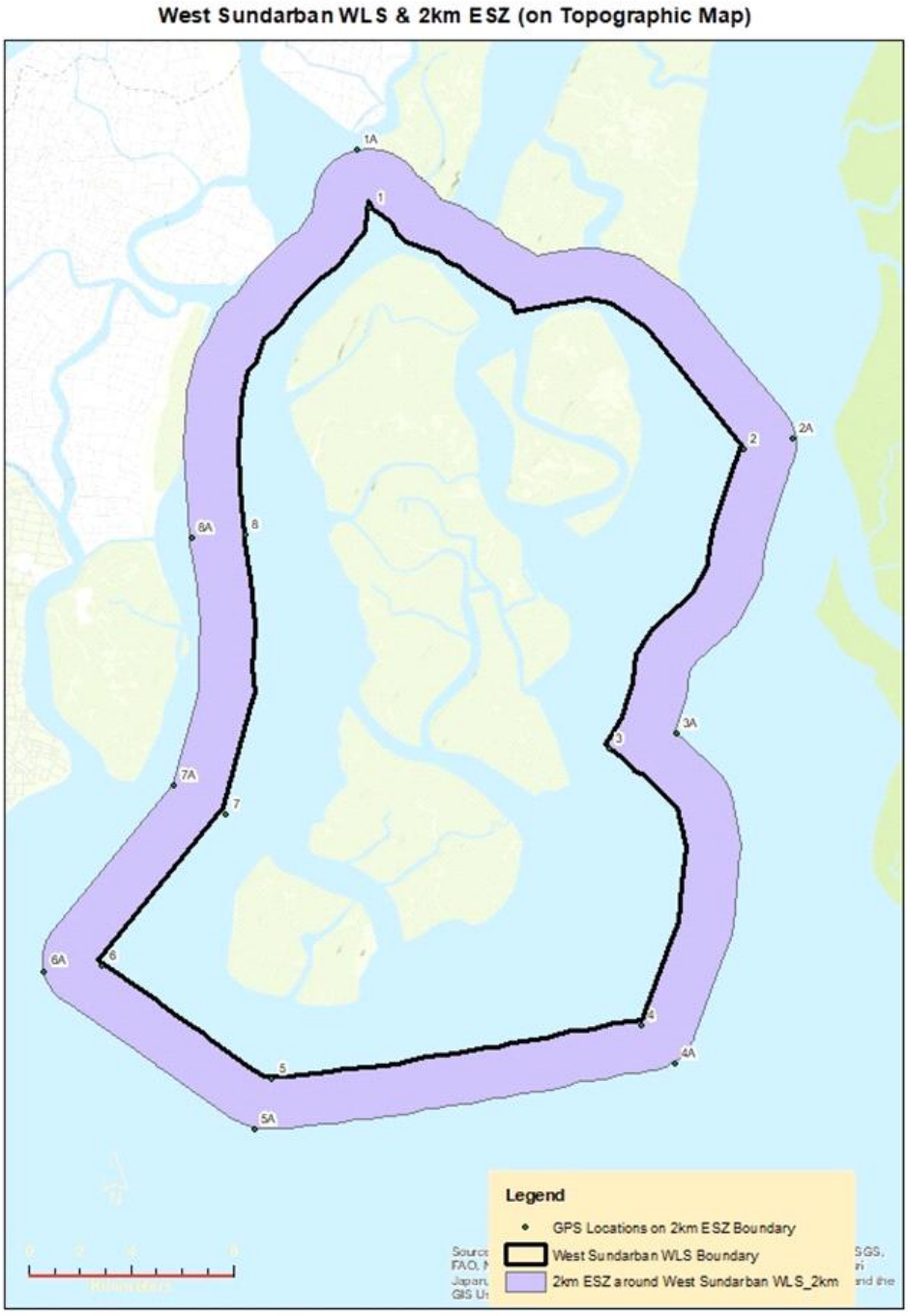

अनुलग्नक II ख

पश्चिमी सुंदरबन वन्यजीव अभयारण्य और उसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल इमेजरी मानचित्र, महत्वपूर्ण मार्ग-बिंदुओं के भू-निर्देशांक के

साथ

अनुलग्नक III

पश्चिमी सुंदरबन वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पर महत्वपूर्ण बिंदुओं के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	वन्यजीव अभयारण्य सीमा पर वेपॉइंट	अक्षांश	देशान्तर
1.	1ए	21°49'34.658"उ	88°31'58.648"पूर्व
2.	2ए	21°44'30.073"उ	88°39'52.446"पूर्व
3.	3ए	21°38'11.034"उ	88°36'58.156"पूर्व
4.	4ए	21°32'19.07"उ	88°37'42.152"पूर्व
5.	5ए	21°31'16.461"उ	88°29'53.43"पूर्व
6.	6ए	21°31'16.461"उ	88°29'53.43"पूर्व
7.	7ए	21°36'49.812"उ	88°28'55.897"पूर्व
8.	8ए	21°42'43.468"उ	88°29'19.587"पूर्व

सुंदरबन वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा पर महत्वपूर्ण बिंदुओं के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	पारिस्थितिकी संवेदी जोन_सीमा पर वेपॉइंट	अक्षांश	देशान्तर
•	1 क	21°49'4.23"उ	88°31'31.775"पूर्व
•	2ए	21°44'43.598"उ	88°40'55.253"पूर्व
•	3 ए	21°38'31.006"उ	88°38'24.747"पूर्व
•	4 ए	21°31'30.692"उ	88°38'26.583"पूर्व
•	5ए	21°30'11.768"उ	88°29'28.801"पूर्व
•	6ए	21°33'26.324"उ	88°25'2.664"पूर्व
•	7ए	21°37'24.93"उ	88°27'47.852"पूर्व
•	8ए	21°42'38.789"उ	88°28'9.878"पूर्व

अनुलग्नक IV

कार्रवाई रिपोर्ट का प्रारूप

- बैठकों की संख्या और तिथि.
- बैठक का कार्यवृत्त: (उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें। बैठक का कार्यवृत्त अलग अनुबंध के रूप में संलग्न करें)।
- पर्यटन आंचलिक महायोजना सहित क्षेत्रीय आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति।
- भूमि अभिलेख में स्पष्ट त्रुटि के सुधार से संबंधित मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी-संवेदी क्षेत्रवार)। विवरण अनुबंध के रूप में संलग्न किया जा सकता है।
- पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत शामिल गतिविधियों के लिए जांचे गए मामलों का सारांश (विवरण अलग अनुबंध के रूप में संलग्न किया जा सकता है)।
- पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत शामिल **न की गई** गतिविधियों के लिए जांचे गए मामलों का सारांश (विवरण अलग अनुबंध के रूप में संलग्न किया जा सकता है)।
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अंतर्गत दर्ज शिकायतों का सारांश।
- कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April,2025

S.O. 1918 (E).— The following draft notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read withclause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of theEnvironment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as requiredunder sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for theinformation of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby giventhat the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiryof a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containingthis notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on theproposals contained in the draft notification may forward the same in writing, forconsideration of the Central Government within the period so specified to theSecretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira ParyavaranBhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mailaddress of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the West Sundarban Wildlife Sanctuary is part of the Sundarbans, which is the largest single chunk of deltaic mangrove forest formed at the mouth of the Ganga- Brahmaputra river system, both in India and Bangladesh. The area is also the only mangrove tiger-land on the globe, where the world famous 'Royal Bengal Tiger' (*Panthera Tigris*) is found.

AND WHEREAS, the West Sundarban Wildlife Sanctuary was notified by the Department of Forests, Government of West Bengal on 11th September, 2013 *vide* notification number 1828-FOR/11M-86/2012(Pt.1) covering an area of 556.45 sq km. The Sanctuary is bounded by the Rivers Ajmalmari,

Thakuran in the North, River Matla in the East, River Thakuran in the West, and the Bay of Bengal in the South;

AND WHEREAS, the West Sundarban Wildlife Sanctuary provides shelter and protection to various species of Wildlife included in Red Data Book of ICUN and the appendices of CITES. It is the home of the endangered Royal Bengal Tiger (*Panthera tigris*) and various globally threatened species namely Fishing Cat (*Prionailurus viverrinus*), Estuarine Crocodile (*Crocodylus porosus*), etc. It is the nesting ground for marine turtles like Olive ridley (*Lepidochelys olivacea*), Green Turtle (*Chelonia mydus*), etc. The endangered Gangetic Dolphin (*Platanista gangetica*) lives within the creeks, canals of these mangrove forests. This Sanctuary is a paradise for birds such as Fulvous Breasted Woodpecker (*Dendrocopos macei*), Stripe Breasted Woodpecker (*Dendrocopos atratus*), Blackrumped Flameback (*Dinopium benghalense*), Stork Billed Kingfisher (*Pelargopsis capensis*), etc.

AND WHEREAS, West Sundarban Wildlife Sanctuary supports a number of vulnerable faunal species such as Estuarine otter (*Lutra lutra*), Bengal Monitor (Varanus bengalensis), Water Monitor Lizard (*Varanus salvator*), Olive Ridley Turtle (*Lepidochelys olivacea*), Irrawaaddy Dolphin (*Orcaella brevirostris*), Gangetic Dolphin (*Platanista gangetica*) , Indian Python (*Python molurus)*, Rhesus Macaque (*Macaca speciosa*), Civet Cat (*Viverra zibetha*) , Jackal (*Canis aureus*), Chital (*Axis axis*), Wild Pig (*Sus scrofa*).

AND WHEREAS, the protected area has a rich and wide biodiversity of floral species and supports about 84 mangrove species. Some of the floral species present in the area are Harguza(*Acanthus ilicifolius L.*), Khalsi (*Aegiceras carniculatum*), Kala Baen (A. *marina (Forsk) Vierh*.), Hodo (*Acrostichum aureum L*), Bakul (*Brugruiera cylindrica (L)*), Nate (*C. cristata* (L).), Gila (*Entada scandens Benth*), Dudhilata (*Finlaysonia obovata L*.), Kripe (*Lumnitzera racemosa Wild*), Hental (*Phoenix paludosa Roxb*.), Keya(*Pandanus tectorius Soland*), Nonaguri (S. *meritima Dumort*) etc,

AND WHEREAS, the multitude of water bodies, including rivers channels and creeks that criss-cross the mangrove forests of West Sundarban Sanctuary supports many species of fish. The fallen leaves of mangrove plants enrich the soil-water phase and the environment creates an ideal nursery ground for innumerable species of fish. Some of the fish species found in the area includes Ganges Shark (*Glyphis gangeticus*) , Hammer head Shark (*Sphyrna blochi*) , Guitar fish (*Rhinobatos annandalei*), Hangar (*Dasyatis sephors*), Butter Fish (*Stromateus sinensis*), Silver Pomfret (*Pampus chirensis*), Bengal Tongue Fish (*Cynoglossus cynoglossus*), Gangetic Hairfin Anchovy (*Setipinna phasa (Hamilton*), Mottled Eel (*Anguilla bengalensis*), Blackfin Sea Cat Fish.(*Arius jella*), Spot Tail Needle Fish (Strongylura strongylura), Kalagachhi Bhagone (*Liza tade* (Forsskal), Chanda (*Etroplus suratensis (Bloch)*), etc.

AND WHEREAS, for effective conservation and protection of floral and faunal biodiversity of West Sundarban Wildlife Sanctuary, the extent of different anthropogenic pressures in its vicinity has to be regulated as the immediate area adjoining this fragile ecosystem is very ecologically sensitive;

AND WHEREAS, the dynamic nature of rivers Ajmalmari, Thakuran, Matla, Bay of Bengal in the South has a direct impact on the wildlife in the Sanctuary; and therefore, it is necessary to conserve and protect the areas around West Sundarban Wildlife Sanctuary for improvement and development the wildlife habitat therein and in the landscape;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, surrounding the boundaries of West Sundarban Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, , in exercise of the powers conferred by sub-section (1) clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby intends to notify an area up to 2 kms. from the boundary of the West Sundarban Wildlife Sanctuary

in South 24 Parganas District in the State of West Bengal as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as Eco-sensitive zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-Sensitive Zone-

(1) The Eco-sensitive Zone is extends to 2 kilometers around the boundary of West Sundarban Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is approximately 207.35 square kilometer.

(2) The boundary description of the Eco Sensitive Zone of West Sundarban Wildlife Sanctuary is appended as **Annexure-I**.

(3) The Maps of the Eco-sensitive Zone of West Sundarban Wildlife Sanctuary and Geo- coordinates of the important way points is appended as **Annexure- II A** and **Annexure II B.**

(4) Geo Coordinates on the boundary of West Sunderban Wildlife Sanctuary and its Eco sensitive zone are appended at Table A and B of Annexure **-III**

(5) No villages are located within the Eco-sensitive Zone

2. Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone-

(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Forest;
(ii) Environment;
(iii) Agriculture;
(iv) Fisheries;
(v) Tourism;
(vi) Irrigation and Waterways;
(vii) Disaster Management & Civil defence;
(viii) Inland Waterways Department, Govt. of West Bengal;
(ix) Panchayat and Rural Development;
(x) Sundarban Affairs.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention. Any activity upstream up to 10 kms. over the rivers passing through the West Sundarban Wildlife Sanctuary, which may increase the likelihood of bank erosion, flooding, water pollution, stoppage of ecological and natural flow which require a prior clearance from the Authority of the West Sundarban Wildlife Sanctuary.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, green area, such as, parks, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
(10) Pending preparation and approval of the Zonal Master Plan, any new developmental activities shall be governed by provisions specified at paragraph 6 of sub-para (1) and (2).

3. Measures to be taken by the State Government. - The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely: -

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Central Government or the State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as-

(i) Bank stabilization/protection structure and measures.
(ii) widening and strengthening of existing roads/jetty and construction of new road, jetty including bridges, culverts etc;
(iii) river dredging and dredging of waterways;
(iv) construction and renovation of socially desirable public infrastructure, electricity , drinking water, irrigation and other basic civic amenities;
(v) Construction and renovation of disaster shelter and related works to protect people from natural disaster viz. cyclone, storm, etc.,
(vi) Small scale industry with limited pollution potential;
(vii) cottage industries including village artisans,etc,
(viii) local amenities supporting eco-tourism including home stay;
(ix) Construction and renovation of security forces camp / patrolling camps, and
(x) promoted activities given in paragraph 4:

(b) Effort shall be made to reforest / afforest the unused land, unproductive agricultural lands and river banks with mangrove species.

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph;

(b) efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;

(b) the Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests;

(c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

(d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;

(e) the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer;

Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-Sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 and its amendments.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under these Acts.

(8) Discharge of effluents.- The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under these Acts.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 and as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(c) (iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(d) (iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall he permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016;

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management. - The construction and demolition waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste. - The e - waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic. – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution. - Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone;

(b) only non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone-

All activities in the Eco-Sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 (or the latest notification) and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco- sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court, dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995; dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012; and dated the 28th April, 2023 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI and in W.P.(C) No.202 of 1995.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted. Pollution prevention technologies and noise barriers should be installed by existing industries
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substance.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Use of polythene bags and plastics.	Prohibited for tourism activity. For other commercial establishment, plastic below 50 microns will be prohibited
9.	Commercial use of firewood.	Prohibited.

10.	Commercial extraction of surface and ground water.	Prohibited.
11.	Introduction of Exotic species.	Prohibited.
12.	Establishment of Solid waste treatment facility	(a) The bio-degradable solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco- sensitive Zone. (b) No solid waste generated outside the Eco Sensitive Zone will be allowed to be treated/ processed within the Eco Sensitive Zone
13.	Establishment of Bio-Medical waste management facility	(a) The Bio-Medical Waste disposal in the Eco Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016. No Bio Medical Waste treatment facility shall be located within the Eco Sensitive Zone (b) All waste generated from bio-medical units within the ESZ shall be taken outside the ESZ for treatment and disposal. No Bio-medical waste generated outside the ESZ will be allowed to be handled, processed or treated inside the ESZ
14.	Establishment of plastic waste management facility	(a) The Plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the MoEF&CC *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.** Additional site-specific restrictions may be prescribed in the Zonal Master Plan. No plastic waste treatment facility should be located inside the ESZ (b) All plastic waste generated inside the ESZ shall be taken outside the ESZ. No plastic waste generated outside the ESZ will be allowed to be handled, processed or treated inside the ESZ
15.	Establishment of E-waste management facility	**(a)** The e-waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the e-waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time. Specifications and additional site-specific restrictions may be prescribed in the Zonal Master Plan. No e-waste treatment facility should be located inside the ESZ.

		(b) All e-waste generated inside the ESZ shall be taken outside the ESZ. No e-waste generated outside the ESZ will be allowed to be handled, processed or treated inside the ESZ
B. Regulated Activities		
16.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
17.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
18.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
19.	Felling of trees.	(c) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (d) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
20.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
21.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other	Regulated under applicable laws of underground cabling may be promoted.

	infrastructures.	
22.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
23.	Widening and strengthening of existing roads, construction of new roads, jetties, bridges, culverts etc.	Taking measures of mitigation with proper Environment Impact Assessment, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
24.	Undertaking other activities related to tourism like over flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
27.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
28.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise, the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per the applicable laws.
29.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated as per applicable laws except for meeting local needs.
30.	Open Well, Bore Well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
31.	Solid Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
32.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
33.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
34.	Movement of Timber	Shall be regulated as per the West Bengal Transit Rules, 2019.
35.	Pisciculture	Not permitted inside the forest area. In other areas, species cultivated and method of cultivation will be regulated in the river / water bodies etc. within ESZ.
C. Promoted Activities		
36.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
37.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
38.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
39.	Cottage industries including	Shall be actively promoted.

	village artisans, etc.	
40.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
41.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
42.	Plantation of Mangrove Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
43.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
44.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
45.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
46.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.
47.	Sustainable forest management activities.	Shall be actively promoted.
48.	Soil and moisture conservation works including river bank protection measures.	Shall be actively promoted. Vegetative bank protection measures will be promoted.
49.	Apiary	To be actively encouraged
50.	Eco friendly alternate livelihood	To be actively encouraged
51.	Embankment protection	Permitted
52.	Establishment of Cyclone shelters	Permitted

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-Sensitive Zone Notification-

For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S.No.	**Constituent of the Monitoring Committee**	**Designation**
(i)	The District Magistrate 24 Parganas (South) District, Government of Bengal	*ex-officio*, Chairman;
(ii)	A representative of Non-governmental Organization working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government for time to time every three years	Member;
(iii)	An expert in the area of Ecology to be nominated by the State Government from time to time every three years.	Member;
(iv)	An expert in Biodiversity to be nominated by the State Government from time to time every three years.	Member;
(v)	A representative from Irrigation & Waterways Department	*ex-officio*, Member;
(vi)	A representative from Sundarban Affairs Department.	*ex-officio*, Member;
(vii)	A representative from Fisheries Department.	*ex-officio*, Member;
(viii)	Representative of Panchayat & Rural Development	*ex-officio*, Member;

	Department, Government of West Bengal	
(ix)	A representative from State Pollution Control Board.	*ex-officio*, Member;
(x)	The Divisional Forest Officer, 24 Parganas (South) Division	*ex-officio*, Member-Secretary.

6. Functions of the Monitoring Committee –

(1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from concerned Department, representative from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in pro-forma specified in Annexure-IV, appended to this notification.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. **Additional Measures:** The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. **Supreme Court, etc. orders.** The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/05/2024/ESZ]

Dr. S. KERKETTA, Scientist 'G'

Annexure I

BOUNDARY DESCRIPTION OF THE ECO-SENSITIVE ZONE OF WEST SUNDERBAN WILDLIFE SANCTUARY

Name of the Eco-sensitive Zone	Side	Width	Island/Range/ Area	Villages	Specific Areas (Reserve Forest Compartment)	Rivers
West Sundarban Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone	North	2 Km radius	Ajmalmari	Maipith	Ajmalmari 11 & 12	Ajmalmari &Thakuran
	East	2 Km radius	Eco-sensitive zone of Haliday Wildlife Sanctuary	Nil	Sundarban Tiger Reserve	Matla
	South	2 km	Nil	Nil	Nil	Bay of Bengal
	West	2 km radius	Dumba Island	Purba Sripatinagar, Rakhalpur, Sridharnagar, Satyadaspur, Sitarampur	Thakuran Reserve Forest	Thakuran

Annexure II A

TOPOGRAPHICAL MAP OF THE WEST SUNDARBAN WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE WITH GEO-COORDINATES OF THE IMPORTANT WAYPOINTS

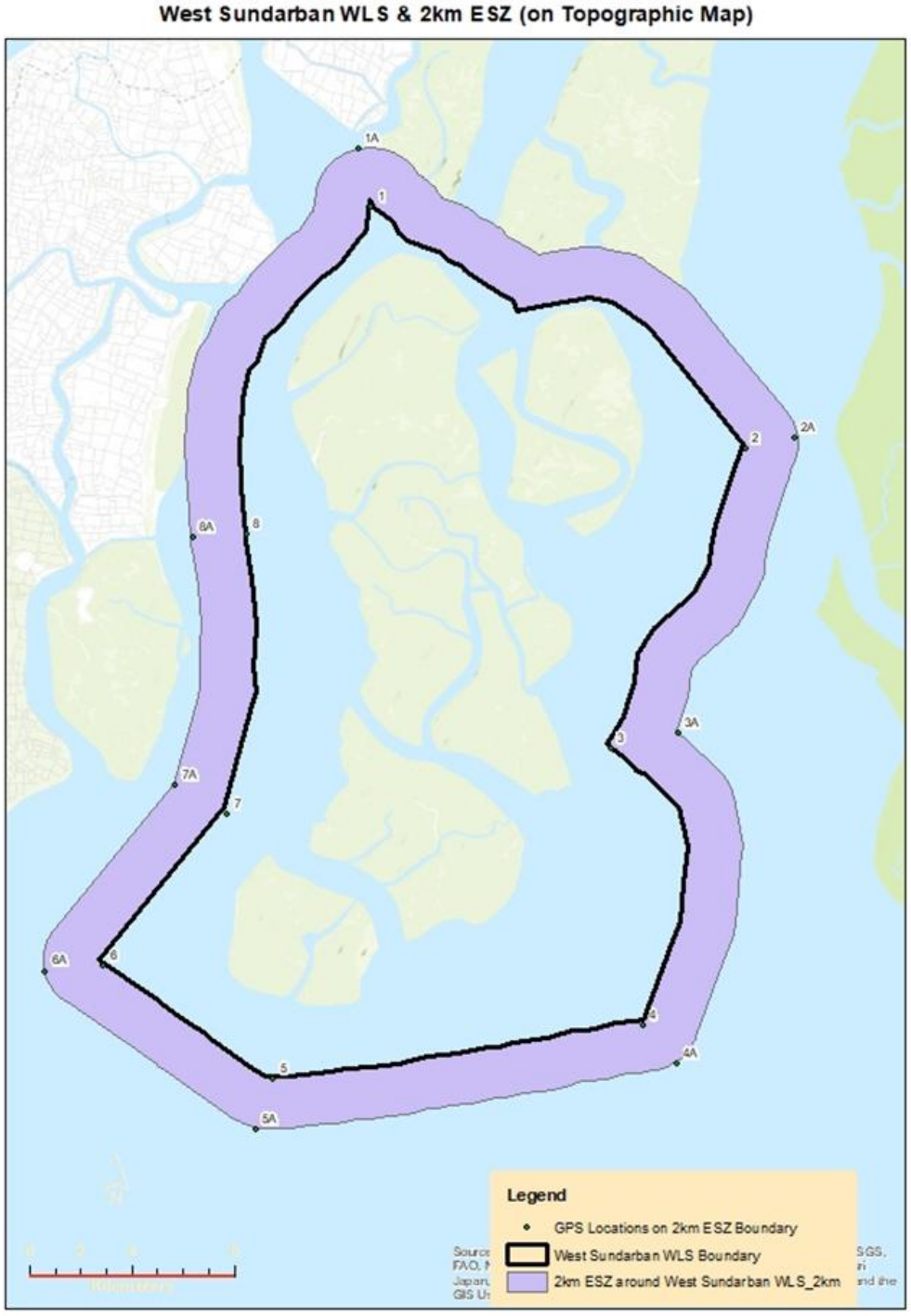

Annexure II B

GOOGLE IMAGERY MAP OF THE WEST SUNDARBAN WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE WITH GEO-COORDINATES OF THE IMPORTANT WAYPOINTS

Annexure III

Table A: GEO COORDINATES OF THE IMPORTANT POINTS ON THE BOUNDARY OF WEST SUNDERBAN WILDLIFE SANCTUARY

S.No	Waypoint on WLS Boundary	Latitude	Longitude
1.	1	21°49'34.658"N	88°31'58.648"E
2.	2	21°44'30.073"N	88°39'52.446"E
3.	3	21°38'11.034"N	88°36'58.156"E
4.	4	21°32'19.07"N	88°37'42.152"E
5.	5	21°31'16.461"N	88°29'53.43"E
6.	6	21°31'16.461"N	88°29'53.43"E
7.	7	21°36'49.812"N	88°28'55.897"E
8.	8	21°42'43.468"N	88°29'19.587"E

Table B: GEO COORDINATES OF THE IMPORTANT POINTS ON THE BOUNDARY OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND WEST SUNDERBAN WILDLIFE SANCTUARY

S.No	Waypoint on ESZ Boundary	Latitude	Longitude
1.	1A	21°49'4.23"N	88°31'31.775"E
2.	2A	21°44'43.598"N	88°40'55.253"E
3.	3A	21°38'31.006"N	88°38'24.747"E
4.	4A	21°31'30.692"N	88°38'26.583"E
5.	5A	21°30'11.768"N	88°29'28.801"E
6.	6A	21°33'26.324"N	88°25'2.664"E
7.	7A	21°37'24.93"N	88°27'47.852"E
8.	8A	21°42'38.789"N	88°28'9.878"E

Annexure IV

Performa of Action Taken Report

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities **not** covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.04.29 15:36:25 +05'30'